(वाद संख्या–5647/17)

18.10.2019

परिवादी, मो0 इलियास, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

मामले से संबंधित तथ्य निम्नलिखित है :–

परिवादी का अपने भाईयों व माता से, अपने स्वर्गीय पिता की सम्पत्ति को लेकर विवाद चल रहा है जिसके संबंध में व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर में कई बंटवारा वादें (यथा 766/12, 290/13, तथा 522/13) लंबित है।

पूर्व में परिवादी की ओर से उपरोक्त कथित बंटवारा वादों को लेकर आयोग के समक्ष याचिका दाखिल की गयी थी जिसे आयोग द्वारा संचिका सं0–1295/14 के रूप में पंजीकृत कर सुनवाई के उपरान्त बंद कर दी गयी। पुनः परिवादी द्वारा अपने सहोदर भाई, भतीजा व भावो के विरूद्ध घर पर चढ़कर दिनांक–24.04.2017 व दिनांक–25.05.2017 को गाली–गलौज और मार–पीट करने के संबंध में व अपने परिवार की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में याचिका दी गयी जो वाद सं0–1781/4/23/2017 के रूप में पंजीकृत कर विधिनुसार निष्पादन हेतु आयोग को प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत मामला भाईयों के बीच संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के बंटवारा से संबंधित है जिसमें परिवादी का कथन है कि दूसरे पक्ष द्वारा उसे बराबर गाली–गलौज व मार–पीट की जा रही है।

कार्यालय, परिवादी की ओर से दाखिल आवेदन (पृ0–1/प0) की प्रति संलग्न कर वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को इस निर्देश के साथ अग्रसारित कर दिया जाय कि उनकी ओर से परिवादी व उसके परिवार की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाय।

चूंकि प्रस्तुत मामला एक सक्षम न्यायालय में विचारण हेतु लंबित है। ऐसी स्थिति में आयोग स्तर पर उक्त के संबंध में कोई निर्णय लेना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रस्तुत मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कमार दुबे
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक